संख्या-13/2017/103/41-2017-202/98

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 21 मार्च, 2017**

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पर्यटन पुलिस बल के गठन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-9532/15-1/838(20)/ट्रै0ट्रे0/2017, दिनांक 01-02-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-08-प्रदेश में वायु सुविधा के सम्बन्ध में सीट अण्डराईट हेतु 42-अन्य व्यय में व्यवस्थित धनराशि रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि रू0 1310.00 लाख में हो रही बचतों में से लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन पुलिस बल का गठन-42-अन्य व्यय हेतु रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड मात्र) की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि पर्यटन पुलिस बल के गठन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का विस्तृत विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि जिन मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है उन मदों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सुसंगत व्यय-विवरण की सूचना महालेखाकार इलाहाबाद को उपलब्ध कराने एवं आंकडों का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से ससमय कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि पर्यटन पुलिस बल के गठन के उद्देश्यों एवं निर्धारित मानकों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा तथा संविदावार तैनात पर्यटक पुलिस पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण सक्षम स्तर से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-2 में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-3452- पर्यटन-आयोजनागत- 80-सामान्य-800-अन्य व्यय-08-प्रदेश में वायुसेवा सुविधा के सम्बन्ध में सीट अण्डर्राइट हेतु-42-अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रारूप बी0एम0-9 में उल्लिखित विवरण के अनुसार लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन पुलिस बल का गठन-42-अन्य व्यय के मद में उपलब्ध कराते हुए उनके नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या 120/ई-7/दस-2017, दिनांक 16 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-13/2017/103(1)/41-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
6- गार्ड-फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-44-पर्यटन विभाग वित्तीय वर्ष 2016-17 (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा**		**निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण**				**वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा**	
लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में) आयोजनागत	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)**	**लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में) आयोजनागत**	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग 8 + 11**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
3452-पर्यटन-आयोजनागत-80-सामान्य -800-अन्य व्यय-08-प्रदेश में वायुसेवा सुविधा के सम्बन्ध में सीट अण्डर्राइट हेतु-00-42-अन्य व्यय	150000	131000	10000	10000	140000	3452-पर्यटन-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन पुलिस बल का गठन-42-अन्य व्यय	5000	15000	10000	10000	15000
योग	150000	131000	10000	10000	140000	योग	5000	15000	10000	10000	15000

नोट-1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः- चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि का व्यय सम्भव न होने के कारण बचत है। **2-** स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय पर्यटन पुलिस बल हेतु आयोजनागत पक्ष में मात्र 03 माह हेतु बजट प्राविधान होने के कारण मई 2016 तक उक्त धनराशि व्यय होने के फलस्वरूप पर्यटन पुलिस बल के कर्मियों को शेष 09 माह का वेतन दिये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के द्वारा कराया जा रहा है। **3-** प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव
पर्यटन विभाग।

संख्या-आरई0- 615/ई-/दस-2017 दिनांक 17.03.2017

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव
वित्त विभाग।

संख्या-13/2017/103(2)/41-2017-202/98 दिनांकः 21 मार्च, 2017

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,
(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।